

06/04/2023

ATER AUTHORITY
nder Notice

ew V connection at Vadakkevila, Eravipuram
on- P... line work.
11,025/- + (1,985/-) GST
12.2023 02:00 pm
r.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in
Superintending Engineer
PH Circle, Kollam

k Limited
(td)

1 Floor, Harrington Road,
1 44 4564 4000 | FAX: +91 44 4564 4022.
T SINGH
Email id-manpreet.s1@idfcbank.com

RIGENDUM

on 03.02.2023 for listing the property for auction IN
S43454 by the IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile
/S.V.S COMPUTER MULTIMEDIA, VANEET GARG,
orrower(s) and Co-Borrowers (s).
public and borrower, Co-borrower that mentioned
nd the correct auction date is 21.02.2023

**W.S. INDUSTRIES (INDIA)
LIMITED**

CIN : L29142TN1961PLC004568
Regd. Office: 108, Mount Poonamallee Rd.,
Porur, Chennai - 600 116

CORRIGENDUM

Notice is hereby given that a meeting of
the Board of Directors of the Company
has been scheduled to be held on
Wednesday, the 8th February 2023, to
consider and take on record, inter-alia,
Unaudited Financial Statements of the
Company for the quarter and nine months
ended 31st December 2022.

for W.S. Industries (India)
Limited
Chennai
01.02.2023 Company secretary

Note: The above Notice ad was already published on 01.02.2023, but in that,
it was inadvertently mentioned by the Publisher as Monday 8th
Feb 2023, instead of Wednesday. Kindly take the above on record.

UNIROYAL INDUSTRIES LTD.

Regd. Office : 365, Phase-II,
Indl. Area, Panchkula- 134113

COMPANY NOTICE

Notice is hereby given that
pursuant to regulation 29 of
SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 that a
meeting of the Board of
Directors of the company shall
be convened on Tuesday, 14th
February, 2023 at Regd. Office,
inter-alia to consider and take
on record the Un Audited
Financial Results (Standalone
& Consolidated) for the
quarter/Period ended on 31st
December, 2022.

Place: - Panchkula (Rajnish Tyagi)
Dated:- 09.01.2023 Company Secretary
Compliance Officer

स्तर तक तेजी से पहुंचाने, मौजूदा तेल-गैस क्षेत्रों से
उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन में गिरावट के रूझान पर
काबू पाने के लिए विशेषज्ञों के साथ सहयोग बढ़ाने
की रणनीति अपनाई है।

06/04/23 भाषा

कंपनियों ने किसी एक कंपनी में हद से
अधिक निवेश नहीं किया है।

इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया
कि भारतीय बाजारों का नियामक बहुत
अच्छी तरह प्रबंधन करते हैं। वित्त मंत्री
ने कहा कि बैंक एवं बीमा कंपनियां खुद
ही आगे आकर अदाणी समूह को लेकर
अपनी स्थिति साफ कर रही हैं।

अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में
बीते करीब 10 दिन में भारी गिरावट आई
है। हिंडनबर्गरिसर्च की एक रिपोर्ट में शेयरों
के भाव बढ़ाने के लिए गलत तरीके



अपनाने के आरोप लगने के बाद इस समूह
का बाजार पूंजीकरण 100 अरब डॉलर
से अधिक गिर चुका है। हालांकि, अदाणी
समूह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए
कहा है कि उसकी कंपनियां सभी कानूनों
एवं खुल
हैं। इस म
बारे में पू
'मेरी राय'
वह आर

यूनीरोयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

राजि ऑफिस : 365, फेज - II
इण्डस्ट्रीयल एरिया, पंचकुला - 134113

कम्पनी सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि
सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकल्प
आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के
विनियम 29 की अनुवर्ती में कम्पनी के
बोर्ड की बैठक 31 दिसंबर 2022 को
विन्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही हेतु अन-
ऑडिटेड विन्तीय परिणाम को रिकार्ड पर
लेने हेतु एवं सभी विषयों पर विचार
करने हेतु शनिवार 14 फरवरी, 2023
को रजिस्टर्ड कार्यालय पर होगी।

स्थान : पंचकुला (रजनीश त्यागी)
कंपनी सचिव
दिनांक: 09-01-2023 अनुपालन अधिकारी

घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर त

उत्तर प्रदेश के मध्यांचल में उपभोक्ताओं के घरों पर
स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी निविदा को रद्द कर दिया
गया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने रविवार को
अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए निविदा को रद्द कर

दिया है। मध्यांचल में स्मार्ट मीटर
निविदा में सबसे कम बोली अदाणी
और उसे यह कार्य मिलना तय माना उ
रविवार को मध्यांचल विद्युत वित
प्रीपेड मीटर की निविदा रद्द कर दी
बोली अदाणी समूह की थी। अदाणी
करीब 10,000 रुपये की दर से
हालांकि केंद्रीय ऊर्जा विभाग की

परीक्षण वे**Equitas इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

(पूर्व में इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड के रूप में ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : चौथा तल, स्पेंसर प्लाजा, जं. 769, मॉडेट रोड, अन्ना सलाई, चेन्नई, टीएन-600002

निजी संधि के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री

सरकारी अधिनियम, 2002 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अचल संपत्ति की बिक्री और प्रत्याभूत ऋणों की वसूल के लिए उक्त अधिनियम
और नियमों के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा प्राप्त करने के लिए सूचना। चूंकि पिछली ऑनलाइन नीलामी(यो) में किसी खरीदार द्वारा
पूछताछ/भाग नहीं लिया गया है, इसलिए प्राधिकृत अधिकारी ने निजी संधि के तहत यहां वर्णित प्रत्याभूत संपत्ति की बिक्री का फैसला लिया है।
एतद्वारा आम लोगों को सामान्य रूप से और विशेष रूप से कजदार(सौ)को यह सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो
निजी संधि के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री के अन्तर्गत है प्रतिभूति दित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियमों 8 और 9 के साथ पठित सरकारी